मध्यप्रदेश की आबकारी नीति 2009-10

- वर्ष 2009–10 के लिये घोषित की गई आबकारी नीति के अनुसार 2008–09 में चल रही देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर उनका आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएंगा तथा इनके लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे । दुकानों के लिये 01 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इनका लॉटरी के माध्यम से निष्पादन किया जाएगा ।
- लॉटरी द्वारा निष्पादन से शेष रही दुकानों एवं वर्ष 2009–10 के लिये खोली जानेवाली 159 नवीन खोली गई विदेशी मदिरा दुकानों के लिये टेण्डर आमंत्रित किए जायेंगे । नवीन खोली गई दुकानों का आरक्षित मूल्य इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के नगरनिगम क्षेत्र में 40.00 लाख, अन्य नगरनिगम क्षेत्र में 20.00 लाख, नगरपालिका क्षेत्र में 10.00 लाख, नगरपंचायत क्षेत्र में 5.00 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू. 2.00 लाख रहेगा ।
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगरनिगम क्षेत्रों की दुकानों के लिये आवेदन पत्रों एवं टेण्डर फार्म का मूल्य रू. 4,500/–, अन्य नगरनिगम क्षेत्रों में स्थित दुकानों का आवेदन पत्रों का मूल्य रू. 3,000/– तथा इससे भिन्न दुकानों के लिये आवेदन पत्रों का मूल्य रू. 1,500/– रूपये होगा ।
- मदिरा दुकानों की बेसिक लायसेंस फीस आरक्षित मूल्य का 8 प्रतिशत तथा बेसिक लायसेंस फीस का 10 प्रतिशत मदिरा दुकानों के साथ अर्नेस्टमनी होगी ।
- रक्षा सेवाओं एवं अन्य विदेशी मदिरा की ड्यूटी दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है । देशी मदिरा की ड्यूटी में रू. 10/– प्रति प्रू.लि. वृद्धि कर यह रू. 150/– प्रति प्रूफ लीटर की गई है ।
- देशी मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि 66 डिग्री ओ.पी. से कम तेजी की रेक्टीफाइड देशी मदिरा निर्माण के उपयोग में नहीं लाई जाएगी ।

- मदिरा की बोतलों में अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य प्रिंट किये जाने की अनिवार्यता वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गई है ।
- होटल / रेस्टोरेंट बार तथा क्लब आदि की लायसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है । यहॉ विक्रित मदिरा पर 12.5 प्रतिशत की दर से वेट की वसूली की जाएगी ।
- रतलाम जिले के कृषकों द्वारा प्रदेश में उत्पादित अंगूर से निर्मित की गई वाइन पर राज्य शासन ने आबकारी शुल्क नहीं रखा है । इसके साथ ही रतलाम जिले में स्थित वाइनरी में कृषकों द्वारा अंगूर से उत्पादित वाइन का उनकी वाइनरी से फुटकर विक्रय की अनुमति दी गई है ।
- अफीम उत्पादक कृषकों से क्रय किये जानेवाले पॉपीस्ट्रा का न्यूनतम विक्रय मूल्य रू. 30.00 प्रति कि.ग्रा. निर्धारित किया गया । उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004–05 के पूर्व पॉपीस्ट्रा का कृषकों से न्यूनतम क्रय मूल्य रू. 3.00 प्रति कि.ग्रा. था । कृषकों के हित में लिये गये निर्णय से 2004–05 से पूर्व निर्धारित पॉपीस्ट्रा का न्यूनतम मूल्य से वर्तमान मूल्य 10 गुना अधिक हो गया है, यह कृषकों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है ।

(अरूण पाण्डेय)
आबकारी आयुक्त,
मध्यप्रदेश